

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कंकड़ी
(पीतासीन अधिकारी विनेश धाकड़, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 27/2024(पुरानी 133/2022)

प्रतिदिन दिनांक : 13.03.2024(पुरानी 26.12.2022)

निर्णय दिनांक : 23.04.2024

॥ अनुवाक ॥

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य विक्रियता एवं स्वास्थ्य अधिकारी लोक।

प्राणी

बनाम

1. श्री बालबिहारी गर्ग पुत्र श्री मिश्रीलाल गर्ग निवासी जवकृश भवन जयपुर रोड लोडारासिंह जिला कंकड़ी एफ.बी.ओ. मैसर्स मोदी किराणा स्टोर जयपुर रोड लोडारासिंह जिला कंकड़ी। पिनकोड 304505 मोबाईल नं० 8502096160

2. मैसर्स मोदी किराणा स्टोर जयपुर रोड लोडारासिंह जिला कंकड़ी रावण पिनकोड 304505

अप्राणीकरण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :

- (1) पेशेकार सरकार उपस्थित।
- (2) विपक्षी बालबिहारी गर्ग स्वयं उपस्थित।

॥ निर्णय ॥

दिनांक: 23.04.2024

1. संक्षेप में प्राणीना पत्र का शार इस प्रकार है कि प्राणी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2022 को समय 01.15 पीएम पर मैसर्स मोदी किराणा स्टोर जयपुर रोड लोडारासिंह जिला कंकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री बालबिहारी गर्ग पुत्र श्री मिश्रीलाल गर्ग मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बालबिहारी गर्ग ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिना प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।
2. प्राणी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मूड,पैल,पी, शककर व मसाले के साथ साथ दुकान में 7 कटोरे में

(निर्णय प्रमाण)
अति. जिला किराणदार, कंकड़ी

Page 1/1

लगभग 250-300 किलोग्राम गुड़ (खुला) रखा हुआ था। इस गुड़ (खुला) का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री बालबिहारी गर्ग पुत्र श्री मिश्रीलाल गर्ग को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री बालबिहारी गर्ग पुत्र श्री मिश्रीलाल गर्ग एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में प्लास्टिक के 7 कट्टे में लगभग 200-300 किग्रा गुड़ (खुला) में से कुल 1 किग्रा वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री बालबिहारी गर्ग पुत्र श्री मिश्रीलाल गर्ग को रू 35.00/- अक्षरे पैतीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री बालबिहारी गर्ग के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।
4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गुड़ (खुला) 1 किग्रा को अलग-अलग चार शिशियों में को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3335 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं बालबिहारी गर्ग तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3335 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री बालबिहारी गर्ग मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री बालबिहारी गर्ग को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।
5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।


अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3760 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3301/एक्ट/2020/3340 दिनांक 15.11.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया गुड़ (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया गुड़ (खुला) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 9,000/- (अक्षरे नौ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.04.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अति. जिला कलक्टर, केकडी
केकडी-राज0